प्रेस नोट थाना कोतवाली
जनपद शाहजहाँपुर

दिनांक – 13.11.2026

थाना कोतवाली पुलिस टीम द्वारा सरकारी कार्य में बाधा व अभद्रता करने वाले 01 अभियुक्त के विरुद्ध की गई विधिक कार्यवाही।

श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय शाहजहाँपुर के निर्देशानुसार में, श्रीमान अपर पुलिस अधीक्षक नगर महोदय के निर्देशन में, श्रीमान क्षेत्राधिकारी नगर के पर्यवेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक कोतवाली के नेतृत्व में चलाये जा रहे अभियान रोकथाम जुर्म जरायम व गिरफ्तारी वांछित/वारन्टी अभियुक्त के क्रम में थाना कोतवाली पुलिस टीम को मिली बडी कामयाबी।

संक्षिप्त विवरण:-

दिनांक 12.11.26 को वादी द्वारा थाना कोतवाली पर दी गई तहरीर के आधार पर मु0अ0सं0 412/26 धारा 281/352/132/221 बीएनएस बाबत अभियुक्त भगवानदास पुत्र प्रागूलाल, नि0 ग्राम मौजमपुर, थाना कोतवाली, जनपद शाहजहाँपुर द्वारा वादी के ड्यूटी पर तैनात होने के दौरान अभियुक्त द्वारा अपनी मोटरसाइकिल को गलत दिशा (रॉन्ग साइड) में चलाते हुए एक थार गाड़ी में टक्कर मार दी गई। इसके उपरान्त अभियुक्त द्वारा थार चालक के साथ कहासुनी की जाने लगी। ड्यूटी पर होने के दौरान वादी द्वारा दोनों पक्षों को समझाया गया, जिसके उपरान्त थार चालक वहां से चला गया। इससे क्षुब्ध होकर अभियुक्त द्वारा ड्यूटी पर वादी के साथ गाली-गलौज एवं अभद्रता करते हुए सरकारी कार्य में बाधा उत्पन्न करने के सम्बन्ध में पंजीकृत किया गया था। अभियुक्त भगवानदास उपरोक्त को समय 15.45 बजे बरेली मोड़ से गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के विरुद्ध आवश्यक विधिक कार्यवाही करते हुए मा0 न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण

भगवानदास पुत्र प्रागूलाल, नि0 मौज्जमपुर, थाना कोतवाली, जनपद शाहजहाँपुर।

पंजीकृत अभियोग का विवरण

मु0अ0सं0 412/2026 धारा 281/352/132/221 बीएनएस, थाना कोतवाली, जनपद शाहजहाँपुर।

गिरफ्तारी का दिनांक, समय व स्थान

दिनांक 12.11.2026 समय को 15.45 बजे, बरेली मोड़ से सीतापुर की ओर जाने वाले रास्ते से।

अपराधिक इतिहास

मु0अ0सं0 412/2026 धारा 281/352/132/221 बीएनएस, थाना कोतवाली, जनपद शाहजहाँपुर।
मु0अ0सं0 702/2018 धारा 60 अबकारी अधि0, थाना कोतवाली, जनपद शाहजहाँपुर।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम का विवरण

उ0नि0 जोगेन्द्र सिंह
का0 रोहित सांगवान